

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.



Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Development Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

F. No. SEEPZ-SEZ/ADMN/29/VOL.II /00663

दिनांक: 14 .01.2025

CIRCULAR No.04/2025

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 - वर्ष 2024 (01.01.2025 तक) के लिए वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (एआईपीआर) प्रस्तुत करने के संबंध में
Subject: Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964 - Submission of Annual Immovable Property Return (AIPR) for the year 2024 (as on 01.01.2025)-reg.

सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 (1) के अनुसार सभी सरकारी ग्रुप ए और बी अधिकारियों को 31 जनवरी, 2025 तक या उससे पहले अपना वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (एआईपीआर) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया है कि ग्रुप सी अधिकारियों सहित सभी ग्रुप ए और बी अधिकारी वर्ष 2024 (01.01.2025 तक) के लिए अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी, 2025 तक निश्चित रूप से "स्पैरो" सॉफ्टवेयर या "वेब-आधारित कैडर प्रबंधन प्रणाली" या ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल या उनकी सेवा/कैडर के लिए लागू किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

In terms of Rule 18 (1) of CCS (Conduct) Rules, 1964 all Government Group A & B officers are required to furnish their Annual Immovable Property Return (AIPR) on or before 31st January, 2025.

The Competent Authority has directed that all Group 'A' & 'B' Officers including Group 'C' officials shall submit the Statement of Immovable Property for the year 2024 (as on 01.01.2025) by 31st January, 2025 positively through "**SPARROW**" software or "**Web-based Cadre Management System**" or **e-HRMS 2.0 portal** or any other system as applicable to their Service/Cadre.

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.


14/01/2015

(जी. एस. भंडारी/G. S. Bhandari)

सहायक विकास आयुक्त/ Asstt. Development Commissioner
सीपज़-सेज़/ SEEPZ-SEZ

प्रतिलिपि:-

1. सभी ग्रुप ए, बी अधिकारी और ग्रुप सी कर्मचारी
2. विकास आयुक्त कार्यालय/संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय/उप विकास आयुक्त कार्यालय / विनिर्दिष्ट अधिकारी
3. कार्यालय आदेश फ़ाइल/रजिस्टर
4. सीपज़-सेज़ वेबसाइट